5000/ 2015/14

न्यायालय अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन

क्रमांक 40 /अ.आ./रीडर/2014 उज्जैन, दिनांक 28-4-14

प्रति, विविध-1739-I-14

सचिव

मा. न्यायालय म.प्र.राजस्व मण्डल

ग्वालियर

विषयः– इस न्यायालय के प्र.क. 314/अपील/11–12 में पारित आदेश दिनांक 5/11/12 के पुर्नविलोकन की अनुमति बाबत् ।

–0–

उपरोक्त विषयान्तर्गत नायब तहसीलदार महिदपुर के प्रकरण क्रमांक 515/बी–121/10–11 में पारित आदेश दिनांक 25–5–11 से डॉ.जितेन्द्र पिता दौलतराम, जेठावानी गुरूनानक दवाखाना ग्राम घोसला तहसील महिदपुर से को स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी किया गया ।

नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 25–5–11 से असंतुष्ट होकर योगेश पिता कमलाशंकर शर्मा निवासी घोंसला तहसील महिदपुर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, महिदपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी, महिदपुर द्वारा प्र.क. 31/अपील/10–11 में पारित आदेश दिनांक 5–3–12 से अपील भू.राजस्व संहिता में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप सुनवाई योग्य नही होने से समाप्त की गई ।

अनुविभागीय अधिकारी, महिदपुर के आदेश दिनांक 5–3–12 से असंतुष्ट होकर योगश पिता कमलाशंकर शर्मा द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन के प्र.क्र. 314/अपील/11–12 में पारित आदेश दिनांक 5–11–12 से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 5–3–12 एवं अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा जारी स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र निरस्त किया गया है ।

21-8-15 उज्जैन कैंप	प्रकरण में उभयपक्ष अनुपस्थित। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अनावेदक पक्ष सूचना उपरांत अनुपस्थित है। उन्हें एकपक्षीय किया जाता है। पुनर्विलोकन के लिये जो प्रस्ताव अपर आयुक्त द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसमें पुनर्विलोकन के क्या आधार हैं, इसका कोई उल्लेख नहीं है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 5-11-2012 का पुनर्विलोकन किन बिन्दुओं पर चाहा गया है यह स्पष्ट नहीं किया गया है अतः आधारहीन होने के कारण पुनर्विलोकन का आवेदन अमान्य किया जाता है। प्रशासकीय सदस्य

राक्षेमुग्वा—712—फॉर्म्स—29-2-12—5,000 प्रपत्र.